18/02/2026

–प्रकरण प्रस्तुत।
–प्रकरण का अवलोकन किया।
–आवेदिका श्रीमती रिंकी देवनाथ पति डॉ0 के0सी0 देवनाथ, निवासी– एम0पी0 नगर कोरबा, तहसील व जिला– कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम– कोरकोमा, प0ह0न0–11, तहसील– भैसमा में ख0नं0 –590 रकबा 0.5100 हे0 भूमि स्थित है, जिसमे आवेदिका के द्वारा 14500 नग सागौन वृक्ष रोपित की गई है, जिसमें से 4500 सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।
–कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल–कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) के पत्र कमांक /राजस्व/1627 कोरबा, दिनांक 30/03/ 2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर ग्राम–कोरकोमा, प.ह.नं. 11, तहसील–भैसमा, में ख.नं. 590 रकबा 0.5100 हे. भूमि स्थित है। जिसमें से रोपित वृक्ष कुल– 2112 नग सागौन वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।
–छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।
–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित हैः–
(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,
(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,
(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यकम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।
– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

पाया गया।
नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।
– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।
– रोपित वृक्ष की कटाई– (1) छ.ग. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किये जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिककारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करायेगा और शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के प्रतिशत राशि निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वृक्ष के 10 गुना की संख्या मे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किये जाएंगें एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।
– कुल 2112 नग रोपित सागौन वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रूपये 150/– प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में "रोपण निधि" के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसाा करती है, कि भू–स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी, अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

रिंकी देवनाथ पति डॉ. के.सी. देवनाथ,
निवासी– कोरकोमा, प.ह.नं.–11
तहसील– भैसमा, जिला.–कोरबा, 935

विषयः– 2112 नग रोपित वृक्षों को काटने की अनुमति बाबत्।

आवेदिका श्रीमती रिंकी देवनाथ पति डॉ0 के0सी0 देवनाथ, निवासी– एम0पी0 नगर कोरवा, तहसील व जिला– कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम– कोरकोमा, प0ह0न0–11, तहसील– भैसमा में ख0नं0 –590 रकबा 0.5100 हे0 भूमि स्थित है, जिसमे आवेदिका के द्वारा 14500 नग सागौन वृक्ष रोपित की गई है, जिसमें से 4500 सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल–कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.) के पत्र कमांक /राजस्व/1627 कोरबा, दिनांक 30/03/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर ग्राम–कोरकोमा, प.ह.नं. 11, तहसील–भैसमा, में ख.नं. 590 रकबा 0.5100 हे. भूमि स्थित है। जिसमें से रोपित वृक्ष कुल– 2112 नग सागौन वृक्ष को काटने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

रोपित वृक्ष की कटाई– (1) छ.ग. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमिस्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा।

(2) भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किये जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिककारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित करायेगा और शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के प्रतिशत राशि निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वृक्ष के 10 गुना की संख्या मे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किये जाएंगें एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

कुल 2112 नग रोपित सागौन वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा तक तक प्रदत्त नहीं की जायेगी, जब तक कि भूस्वामी द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों की दुगनी संख्या में वृक्ष अपनी भूमि में नहीं लगाए जाएँ, या भूस्वामी द्वारा रूपये 150/– प्रति वृक्ष की दर से राशि पंचायत में जमा न कर दी जाए। यह राशि पंचायत में ''रोपण निधि'' के अधीन रखी जाएगी। यदि ग्राम पंचायत स्तरीय समिति यह अनुशंसाा करती है, कि भू–स्वामी ने वांछित संख्या में पेड़ों का रोपण किया, उसकी देखभाल की एवं पौधा सुरक्षित है, तो उपरोक्त रकम वृक्षारोपण की तिथि से तीन माह के बाद वापस कर दी जाएगी,

....2...

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

अन्यथा ग्राम पंचायत द्वारा उस रकम का वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। गरीवी रेखा के नीचे के परिवारों के भूस्वामियों से रकम की वसूली नहीं की जाएगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल– 2112 नग सागौन वृक्षों को विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

18/03/2026

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)

पृ.क 936 /अ.वि.अ./वाचक/2026 कोरबा, दिनांक 18/3/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र कोरबा, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –भैसमा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा (छत्तीसगढ़) सत्यमेव जयते

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला–कोरबा (छ.ग.)